

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(D&A)2003/RG 6-37

New Delhi, dated 13.2.2004

The General Manager (P),
All Indian Railways/Production Units etc.
(as per mailing list).

Sub: Revisionary powers in disciplinary cases.

The provisions regarding revisionary powers in disciplinary cases are contained in Rule 25 of Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1968. Doubts in this respect have been raised by various railways from time to time particularly regarding the exercise of revisionary powers by an appellate authority. The position in regard to Rule 25 is clarified in the succeeding paragraphs.

2. In terms of Rule 25(1)(v), an officer of the rank of Deputy HOD can also exercise revisionary powers, provided he is otherwise competent to conduct revision in the case. Revisionary powers can be exercised both suo-moto or on consideration of a revision petition. However, suo-moto revision can be done subject to the time limits prescribed in Rule 25(5).

2.1 Appellate authority can also exercise revisionary power when in a case no appeal has been preferred in terms of Rule 25(1)(iv). However, for an appellate authority to exercise revisionary power, this authority has to be of the rank of DRM and above. In other words, an authority upto the rank of ADRM cannot exercise revisionary powers if it happens to be the appellate authority in the case. Revisionary powers will be exercised by the appellate authority only for conducting suo moto revision. The time limits laid down in Rule 25(5) also apply in cases of revision done by the appellate authorities.

3. The provision of para 20(d) in the Master Circular No.67 may accordingly be read as under :-

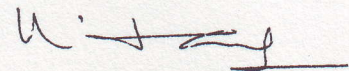
“(d) The revising authority has to be higher in rank than the Appellate Authority where:-

- (i) an appeal has been preferred; or
- (ii) where the time limit prescribed for ‘revision to be made by the Appellate Authority’, as laid down in Rule 25(5) of RS(D&A) Rules has expired.

The above stipulation does not apply to the revisions made by President.

(Rule 25(4) of RS (D&A) Rules, 1968)”.

4. Please acknowledge receipt.



(R. Vijayan Nair)
Dy. Director Establishment(D&A)
Railway Board.

आर बी/ईस्ट सं. 28/2004
मास्टर परिपत्र सं. 67 के लिए
अनुपूरक परिपत्र सं. 1

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डी एंड ए) 2003/आर जी 6-37

नई दिल्ली, दिनांक : 13-2-2004

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : अनुशासनिक मामलों में पुनरीक्षण की शक्तियां.

अनुशासनिक मामलों में पुनरीक्षण शक्तियों के संबंध में उपबंध रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 25 में अंतर्विष्ट हैं. समय-समय पर विभिन्न रेलों द्वारा इस संबंध में विशेषकर अपील प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों का इस्तेमाल करने के संबंध में संदेह व्यक्त किए गए हैं. नियम 25 के संबंध में स्थिरत उत्तरवर्ती पैराग्राफों में स्पष्ट की जाती है.

2. नियम 25 (1) (v) के अनुसार, उप विभागाध्यक्ष के ओहदे का अधिकारी भी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है बशर्ते वह उस मामले में पुनरीक्षण करने के लिए अन्यथा सक्षम हो. पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग अपनी ओर से अथवा किसी पुनरीक्षण याचिका पर विचार करते समय दोनों ही स्थितियों में किया जा सकता है. लेकिन, अपनी ओर से किया जाने वाला पुनरीक्षण नियम 25(5) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही किया जा सकता है.

2.1 जिन मामलों में अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, वहां अपील प्राधिकारी भी नियम 25(1)(iv) के अनुसार, पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है. लेकिन, पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अपील प्राधिकारी को मंडल रेल प्रबंधक या उससे ऊँचे ओहदे का होना चाहिए. दूसरे शब्दों में, अपर मंडल रेल प्रबंधक के ओहदे तक का कोई प्राधिकारी भी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता यदि वह उस मामले में अपील प्राधिकारी है. अपील प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग केवल अपनी ओर से पुनरीक्षण करने के लिए किया

जाएगा. अपील प्राधिकारियों द्वारा किए गए पुनरीक्षण के मामलों में भी नियम 25(5) में निर्धारित समय सीमा लागू होगी.

3. अतः मास्टर परिपत्र सं. 67 के पैरा 20(घ) का उपबंध, नीचे लिखे अनुसार पढ़ा जाए:-

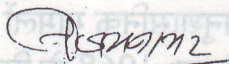
"(घ) पुनरीक्षण प्राधिकारी अपील प्राधिकारी से ऊँचे ओहदे का होना चाहिए, जहाँ:-

- (i) अपील प्रस्तुत की गई है; अथवा
- (ii) जहाँ, अपील प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले पुनरीक्षण की समय सीमा, जैसाकि रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के नियम 25(5) में निर्धारित की गई है, समाप्त हो गई है.

उपर्युक्त शर्तें राष्ट्रपति द्वारा किए गए पुनरीक्षण पर लागू नहीं होंगे.

(रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 का नियम 25(4) .)"

4. कृपया पावती दें.


(आर. विजयन नायर)

उप निदेशक स्थापना (अनु. एवं अपील)
रेलवे बोर्ड